# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा।

अनुमति वाद संख्या–276 / 2021–22

<table>
<tr><th>आदेश सं0 एवं तिथि</th><th>आदेश</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>16.12.21</td><td>

आवेदक श्री गोपाल उरांव पिता स्व0 धपा लकड़ा, साकिन आदर्श नगर जुरिया, थाना एवं जिला–लोहरदगा के द्वारा सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा जुरिया के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाय।

**आवेदित भूमि की विवरणी**

| मौजा | थाना | थाना नं0 | खाता संख्या | प्लॉट सं0 | रकबा ए0 में |
|---|---|---|---|---|---|
| जुरिया | लोहरदगा | 197 | 140 / 305 | 462 / 520 | 0.10 |

**जमीन विक्रेता की विवरणी**

नाम :– गोपाल उरांव<br>
पिता / पति का नाम :– स्व0 धपा लकड़ा<br>
पता :– आदर्श नगर जुरिया<br>
थाना :– लोहरदगा<br>
जिला :– लोहरदगा<br>
पहचान संख्या :– आधार न0 – **854064858449**

**जमीन क्रेता की विवरणी**

नाम :– अनिमा किण्डो<br>
पिता / पति का नाम :– गोएन्दा किण्डो<br>
पता :– प्रेम नगर<br>
थाना :– लोहरदगा<br>
जिला :– लोहरदगा<br>
पहचान संख्या :– आधार न0 – **819755725609**

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुये संबंधित मौजा **जुरिया** के नाम आम ईश्तिहार ,नोटिस जारी किया गया कि उक्त जमीन **अनिमा किण्डो पिता गोएन्दा किण्डो, साकिन प्रेम नगर, थाना एवं जिला लोहरदगा** के साथ बिक्री करने के विरूद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुए अंचल अधिकारी, **लोहरदगा** से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अंचल अधिकारी, **लोहरदगा** ने अपने पत्रांक–**1582** दिनांक **07.12.2021** द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है।

</td><td></td></tr>
</table>



Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, **लोहरदगा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को 598.5 कड़ी जमीन है। जमीन बिकी करने बाद आवेदित खाता में **498.5 कड़ी** जमीन बचता है। आवेदक मकान बनाने एवं निजी कार्य हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक का खरीदगी जमीन है। सरकारी रसीद गोपाल उरांव पिता धपा उरांव वो श्रीमती अंजली शिरोमनी मिंज पति सोमरा भगत के नाम से कटती है। जमीन का श्रेणी टांड़।। है।

विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवेदन के साथ समर्पित निवास प्रमाण–पत्र संख्या क्रमशः **JHLRCO/2021/132052 दिनांक–20.02.201** गोपाल उरांव पिता धपा उरांव, पता जुरिया, थाना एवं जिला–लोहरदगा तथा **JHLRCO/2021/246030 दिनांक–09.08.2021** अनिमा किण्डो पिता गोएन्दा किण्डो, पता प्रेम नगर, थाना एवं जिला–लोहरदगा का निर्गत है। जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के मानदण्ड के अनुसार एक ही थाना एवं जिला–**लोहरदगा** के निवासी होने की पुष्टि करता है।

इस क्रम में आवेदक का भी ब्यान लिया गया। आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा **जुरिया** के अन्तर्गत **खाता नं0 140/305 प्लॉट नं0 462/520 रकबा 0.10 ए0** जमीन को **अनिमा किण्डो पिता गोएन्दा किण्डो, साकिन प्रेम नगर, थाना एवं जिला लोहरदगा** के साथ जमीन बिकी कर रहे है। जमीन आवेदक के दखल कब्जा में है। जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नहीं है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान तथा अंचल अधिकारी, लोहरदगा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा **जुरिया** के अन्तर्गत खाता नं0 140/305 प्लॉट नं0 462/520 रकबा 0.10 ए0 जमीन को **अनिमा किण्डो पिता गोएन्दा किण्डो, साकिन प्रेम नगर, थाना एवं जिला लोहरदगा** के साथ सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अर्न्तगत उनके निजी दायित्व पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

16/12/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
लोहरदगा।

अवर निबंधन कार्यालय

16/12/21

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
लोहरदगा।

Scanned with CamScanner